सं.आईसीएमआर/भर्ती एवं पदोन्नति कक्ष/पदोन्नति/लेखा अधिकारी/2025

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

दिनांकः17.09.2025

कार्यालय आदेश

विषय: नियमित आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति - के संबंध में

****

डीपीसी (समूह 'ए') की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -10 (₹56,100-1,77,500) में लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। उनकी पदोन्नति उनके पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी:-

क्रं.सं.	नाम	वर्तमान में कार्यरत संस्थान/केंद्र का नाम	पदोन्नति पर तैनाती	टिप्पणी
1.	श्री दीपक कुमार गायेन **(एससी)**	एनआईआरबीआई, कोलकाता के साथ आरएमआरसी गोरखपुर का अतिरिक्त प्रभार	एनआईआरबीआई, कोलकाता के साथ आरएमआरसी का अतिरिक्त प्रभार गोरखपुर	**योग्यता के आधार पर। हालाँकि, यह पदोन्नति पाँच वर्ष पूरे होने की तारीख के बाद प्रभावी होगी, अर्थात 22.10.2025 से या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, जो भी बाद में हो।**

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करें और इस आदेश के जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है और पदोन्नति आदेश बिना किसी अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा किए स्वतः रद्द हो जाएगा। पदोन्नति पर पदभार ग्रहण करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने या अन्यथा किसी भी प्रकार का समय विस्तार, बाध्यकारी आधारों को छोड़कर, स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेखा अधिकारी के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और परिषद के नियमों के अनुसार भारत में कहीं भी सेवा करनी होंगी।
4. उनका वेतन 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अनुसार नियत किया जाएगा।
5. उक्त पदोन्नत अधिकारी को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे नए पद का नियत वेतन लेंगे, या पदोन्नत पद, लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्व के पद या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।
6. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करते हैं, तो वे तब तक आगे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति के लिए विचार किए जाने पर सहमत नहीं हो जाते।

7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।
8. उपरोक्त पदोन्नति एनसीएससी द्वारा आरक्षण रोस्टर की समीक्षा के अधीन है।
9. वे परिषद के अधीन सेवा की सामान्य शर्तों और नियमों द्वारा शासित होंगे और परिषद के अधीन अपनी पिछली सेवा के सभी लाभों को आगे भी जारी रखेंगे।
10. निदेशक से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी को पदोन्नति पद का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पहले, अधिकारी के संबंध में नवीनतम सतर्कता मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और वह सतर्कता की दृष्टि से निर्दोष है। हालाँकि, यदि पदोन्नति के समय कार्यभार ग्रहण करते समय, अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से निर्दोष नहीं है, तो उसकी पदोन्नति रोक दी जा सकती है और मामला भर्ती एवं पदोन्नति प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय को भेजा जा सकता है।

(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

श्री दीपक कुमार गायेन,
अनुभाग अधिकारी,
एनआईआरबीआई कोलकाता

प्रतिलिपि:-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उपमहानिदेशक(प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. **संबंधित संस्थानों/केंद्रों के निदेशक** - इस अनुरोध के साथ कि पदोन्नति की स्वीकृति/कार्यभार ग्रहण/पदोन्नति से इनकार, यदि कोई हो, तो कृपया ईमेल: **admin1.hq@icmr.gov.in** के माध्यम से स्थापना अनुभाग, परिषद मुख्यालय को तत्काल अग्रेषित करें।
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/अपर महानिदेशक(प्रशा.)/अपर महानिदेशक(वित्त)
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग
5. संपर्क अधिकारी (आरक्षण प्रकोष्ठ), परिषद मुख्यालय।
6. सतर्कता/लेखा-I/VI अनुभाग/कानूनी प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।
7. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, परिषद मुख्यालय।
8. सहायक निदेशक (राजभाषा), परिषद मुख्यालय - इस कार्यालय आदेश का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराएं।
9. बजट/गार्ड फ़ाइल.